MUNJAL SHOWA LIMITED

Registered Office & Works : 9-11, Maruti Industrial Area, Sector - 18, Gurugram - 122 015 (Haryana) INDIA
E-mail : msladmin@munjalshowa.net Website : www.munjalshowa.net
Corporate Identity Number : L34101HR1985PLC020934, PAN : AAACM0070D
Phone : 0124-4783000

July 12, 2022

The D.G.M. (Listing)
Corporate Relation Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Security Code: 520043

The Asst. Vice President
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Security Code: MUNJALSHOW

Sub: Submission of Newspaper Advertisement, Notice to shareholders for 37th Annual General Meeting and Record date under Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, please find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement published in newspapers viz. Mint in English language on July 12, 2022 and Hindustan in Hindi Language on July 12, 2022 for notice to shareholders for 37th Annual General Meeting and for Cut-off dates.

Kindly take the aforesaid information on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,
For MUNJAL SHOWA LIMITED

Neha Bansal

MUNJAL SHOWA LIMITED GURGAON

(Neha Bansal)
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: as above

'Whisky-loving India among top 10 important countries'

The Glenmorangie CEO said after a cask of 1975 scotch whisky sold for a record £16 million

Varuni Khosla
varuni.khosla@livemint.com
NEW DELHI

A cask of rare Scotch whisky dating back to 1975 took the world by storm when it sold for £16 million, smashing the earlier record of £1 million set in April. The single malt, produced at the Ardbeg distillery on the Scottish island of Islay, was bought by a private collector in Asia.

In an interview with *Mint*, Thomas Moradpour, chief executive, The Glenmorangie Co., said the firm, owned by Moët Hennessy-Louis Vuitton, will deliver 440 bottles of the single malt from Cask No.3 to the unnamed owner over the next five years.

The Ardbeg distillery was acquired in 1997 by The Glenmorangie Co.

Traditionally the company's collectors or fans belong to Ardbeg, the home base, the US and the Americas, besides markets in Asia. "It's no accident that Asia has been the most dynamic, and it is a historic milestone for us," Moradpour said.

While declining to share global sales numbers, he said the subcontinent is a very important market since Indians "love whisky".

"India is in the top 10 countries of importance for us," he added.

"We see a trend in that notion of collectibility, and we stimulate that collectibility. We've seen a lot with limited edition releases of very weird, fun products.

Thomas Moradpour and Dr Bill Lumsden with Cask No. 3 of single malt produced at the Ardbeg distillery on the Scottish island of Islay

In a way this is the same dynamic that you might see in sneakers with product drops that sell out in minutes, fuelled by collectors."

The firm will continue to mature its Cask No. 3 and till 2026, every year she will receive 88 bottles from the cask.

"She will possess a vertical series of the drink from 1975, aged 46, 47, 48, 49 and 50 years, said Moradpour. The price of a bottle at £36,000 or ₹34.2 lakh costs as much as some of the most rare whiskies auctioned around the world.

Moradpour said this was the first time a unique sale like this had taken place in the brand's over-200 years of history where a spirit made on Islay in November 1975 had been sold at a private auction. "Ardbeg has been around for a long time and has a roller coaster history. It's a distillery that almost disappeared twice in the 1980s and in 1990s before The Glenmorangie Co. acquired it. Before the 1990s most of what we produced went into blends. So very little stock was reserved for single malts. In fact, stocks from the 1970s are almost impossible to find."

The company, he said, started a programme close to three years ago to sell rare casks of both Ardbeg and Glenmorangie to private buyers, after recognising that they had whiskies in their stock that were ready for private connoisseurs. It sold a number of rare whiskies for between £169,174 and £1,691,740 with great success. Like art, rare whiskies have found many collectors. According to a Knight Frank Wealth Report, in the last decade, rare whiskies were a top performing asset class in its Luxury Investment Index, which tracks a basket of rare bottles sold at auctions. This increased 428% in value over the 10 years and 9% in the past year alone.

"Excellent products are being made in many places by many distillers. It is our job to be agile and we have been quite successful in last three years. Our demand exceeds our supply. For this we are increasing our capacity," he added.

SPARKLING SPIRITS

THE Glenmorangie Co will deliver 440 bottles of the single malt from Cask No.3 over next five years.

THE Ardbeg distillery was acquired in 1997 by The Glenmorangie Co.

TRADITIONALLY the company's collectors or fans belong to Ardbeg, the US and Asia

THE firm will keep maturing Cask No. 3 and till 2026, will receive 88 bottles from it each year

DoT clamps down on contentious telecom gear

Gulveen Aulakh
gulveen.aulakh@livemint.com
NEW DELHI

Telecom networks and virtual network operators can use equipment only from trusted suppliers for upgradation or expansion of existing networks, the government said, in a move that may further thwart use of Chinese gear in telecom networks by carriers.

The amendment to licence conditions, which takes effect from 15 June, will not be applicable to annual maintenance contracts, the department of telecommunications said in a notice issued on Monday, directed at unified access services licence holders, unified licence holders and virtual network operator license holders.

"With effect from 15th June 2021, the licencee, shall only connect trusted products in its network and also seek permission from designated authority for upgradation or expansion of existing network utilizing the telecommunication equipment not designated as trusted products," the department said in the notice.

"However, these directions will not affect ongoing annual maintenance contracts or updates to existing equipment already inducted in the network as on date of effect," it added.

Bollywood set for bumper box office collections in 2H

Lata Jha
lata.j@livemint.com
NEW DELHI

The Hindi film industry is expected to post a more than 60% jump in revenues in the second half of this calendar year, overcoming its poor show in the first half, buoyed by a slew of big-ticket releases and several extended weekends in the coming months. Trade experts expect Bollywood to garner ₹1,400 crore in earnings in the six months through December compared to ₹850 crore in the first half. With multiple holiday weekends like Independence Day, Dussehra, Diwali and Christmas, there is high expectation from films such as Aamir Khan's *Laal Singh Chadha*, Akshay Kumar's *Raksha Bandhan*, Karan Johar's *Liger and Brahmastra*, Hrithik Roshan and Saif Ali Khan-starrer *Vikram Vedha*, horror comedy *Bhediya* (Varun Dhawan and Kriti Sanon), Kartik Aaryan's *Shehzada and Cirkus* directed by Rohit Shetty.

"The second half of the year should definitely be better than the first. Not only are many big Hindi films slated for release, we will also see multiple festive weekends. In contrast, the first six months saw very few big films releasing in the Hindi language," said Rajendar Singh Jyala, chief programming officer at INOX Leisure Ltd.

Film trade analysts said Hindi movies released in the past few months such as *Jersey, Runway 34, Jayeshbhai Jordaar* and *Anek* were mid-sized titles with little spectacle value. That's set to change in the second half with star-studded large-scale productions.

Quality content has returned to cinemas across languages. HT

The industry may, however, still lag pre-covid collections of ₹4,000 crore in 2019 but could touch ₹2,200 crore by this year-end if the pandemic remains under control.

Devang Sampat, chief executive at Cinepolis India said the good news is as quality content has returned to cinemas across languages, so have audiences.

"Post the lifting of government restrictions, out of 12 weeks, we were above the 2019 average weekly admits for eight. Other metrics such as SPH (spend per head) have been showing an increasing trend and we have crossed pre-covid levels," he said.

Haldwani Rudrapur Cluster SWM Society (HRCSWMS)
(Nagar Nigam Haldwani- Kathgodam)

Reference No. 64 — Date: 11-07-2022

E-Tender Notice

Request for Proposal (RFP) are invited for Bio-Mining of Legacy Waste and Reclamation of Existing dumpsite at Gola Roukhad, Haldwani Distt- Nainital" from the eligible Consortium/ developers/ Agencies/ Firms through online portal http://uktenders.gov.in. Details/RFP & Schedule of Bidding Process can also be downloaded from this portal from 13.07.2022. E-Tender Notice & Schedule of Bidding Process can also be seen in Nagar Nigam Wesbite http://www.haldwaninagarnigam.com.

(Pankaj Kumar Upadhyay)
Member Secretary HRCSWMS/
Nagar Aayukta Nagar Nigam
Haldwani

(Dr. Jogendra Pal Singh Rautela)
Honourable Chairman HRCSWMS/
Mayor Nagar Nigam Haldwani.

mint Long Story

Perfect for the treadmill. So that your knowledge isn't stuck in the same place.

Detailed reporting on the most important stories of our times. Great return for your 10 minutes' investment.

Scan the QR code or visit livemint.com to subscribe

mint
India's No.1 Business News Site

FOR LEADERS OF THE NEW ORDER

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office: Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata - 700 091
CIN: U40109WB2007SGC113473, cecorpmont@gmail.com, www.wbsedcl.in

WBSEDCL

NIT No.: WBSEDCL/CEHPC/Civil/e-Tender/2022-23/11 — **Date: 06.07.2022**

The **Chief Engineer, Hydro Project Construction, WBSEDCL** invites e-tender from bonafide, resourceful & experienced contractors of WBSEDCL/WBSETCL & other Central/State/Semi Govt./Govt. undertaking organisations for *'Protection & Stabilisation of Panchayat Jhora landslide zone under Rammam Hydel Project, Stage-II, Dist.: Darjeeling'*. Estimated Cost: **Rs. 18, 02, 43,418/-**; Completion Time: **300** (three hundred) **days**; Tender ID: **2022_WBSED_388546_1**; Earnest Money: **Rs. 5, 00,000/-**. Other details, such as Eligibility criteria, Key dates etc. will be available from **12.07.2022** onwards on **https://wbtenders.gov.in** & **www.wbsedcl.in**.

ICA-T12457 (4) / 2022

New Okhla Industrial Development Authority
Main Administrative Building, Sector-6, Noida, G.B. Nagar, (U.P.)
Website: www.noidaauthorityonline.com

E-TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from eligible contractors/firms for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened / downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & https://etender.up.nic.in. Please ensure to see these website for any changes/amendments & corrigendum etc.

Sr. No.	Job Number	Name of work	Amount (Lac)	Publishing
1.	01/SPE/PE(PH-II)/ET/2022-23	Cleaning & Sweeping of all roads drains including disposal of solid waste of various Sectors/Villages of PH-II area, Zone I, Noida.	₹ 768.10 Lakh	9th Time
2.	04/SPE/PE(PH-I)/ET/2022-23	Cleaning & Sweeping of all roads drains including disposal of solid waste of various Sectors/Villages of PH-I area, Zone IV, Noida.	₹ 764.97 Lakh	9th Time
3.	05/SPE/PE(PH-I)/ET/2022-23	Cleaning & Sweeping of all roads drains including disposal of solid waste of various Sectors/Villages of PH-I area, Zone V, Noida.	₹ 794.39 Lakh	9th Time
4.	06/SPE/PE(PH-I)/ET/2022-23	Cleaning & Sweeping of all roads drains including disposal of solid waste of various Sectors/Villages of PH-I area, Zone VI, Noida.	₹ 702.84 Lakh	9th Time

The above tenders can be uploaded From dated 12/07/2022 to 18/07/2022 upto 5:00 PM. Pre-qualification shall be opened/downloaded on dated 19/07/2022 at 11:00 AM.

Office Sector - 39

Principal General Manager
Noida

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
YEIDA FUTURE IS HERE
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ओमेगा–1 (पी–2), ग्रेटर नोएडा,
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइटः www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांकः वाई.ई.ए./भूलेख/तह.-वी.एम./2980/2022 — **दिनांकः 11.07.2022**

सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित भूमि का यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किया जाना प्रस्तावित हैः–

चिन्हित पॉकेट का विवरण	पॉकेट के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम/गाटा	
प्रयोजन	ग्राम	गाटा संख्या
सैक्टर–16	धनौरी	1597, 1599, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1624, 1625, 1633, 1634, 1648, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1699, 1701, 1706, 1710, 1716, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1732, 1733, 1734, 1735, 1738, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746

1. यदि मूल काश्तकार की मृत्यु हो गई है तो उनके वारिसानों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने व मूल काश्तकार का मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिसान प्रमाण–पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, हिस्सा दर्ज खतौनी की नकल, परिवार सदस्यता प्रमाण व शपथ–पत्र, अनुबंध पत्र, पहचान पत्र/आधार कार्ड व ब्यान आदि जमा करने पर RTGS/NEFT के माध्यम से वारिसानों के नाम Transfer किया जायेगा।
2. वर्तमान में काश्तकारों को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। काश्तकार सुसंगत पहचान पत्र जैसे – आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि व अन्य आवश्यक अभिलेख जैसे – शपथ–पत्र, अनुबन्ध पत्र आदि तैयार करा लें। बैंक खाते व प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों में काश्तकार का नाम एक समान होना चाहिए अन्यथा RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान में अड़चन आ सकती है। अतः बैंक खाते में नाम भी सही करा लें ताकि भुगतान में कोई अड़चन न आवे। तालिका में शामिल गाटा संख्या के काश्तकार उक्त अभिलेख **15 दिन से पूर्व** ही प्राधिकरण में जमा करा दें ताकि उनकी समय से जाँच हो सके तथा भौतिक कब्जा सत्यापन उपरांत उनका भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से यथाशीघ्र कराया जा सके।
3. भूमि के अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में प्रकाशन के **15 दिनों के अन्दर** सी.आर. सेल/तहसीलदार, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष कार्याधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।

MUNJAL SHOWA

MUNJAL SHOWA LIMITED
CIN: L34101HR1985PLC020934
Registered Office & Works: 9-11, Maruti Industrial Area, Sector-18, Gurugram -122015 (Haryana)
Tel.:+91-124-4783000; **Email:** cs@munjalshowa.net
Website: www.munjalshowa.net

NOTICE OF THIRTY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND CUT OFF DATE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('AGM') of Munjal Showa Limited ('Company') will be held on **Friday, August 12, 2022 at 11.00 A.M (IST)** through Video Conference ('VC') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with all applicable circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), to transact the businesses as set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC.

1. **Availability of Annual Report and Notice of AGM:**
   In compliance with the Relevant Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants ('DPs'). The same will also be available on the website of the Company at www.munjalshowa.net, stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and e-voting website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com.
2. **Manner of registering / updating email address:**
   a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same by sending scanned copy of (i) signed request letter mentioning name, folio number and complete address (ii) self-attested scanned copy of the PAN Card and (iii) self-attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the Company, to RTA of the Company, MCS Share Transfer Agent Limited at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com or admin@mcsregistrars.com.
   b) Members holding shares in dematerialised mode, are requested to register/update their email addresses with the respective DP for receiving all communications from the company electronically.
3. **Manner of casting vote(s) through e-voting:**
   (a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM electronically either through remote e-voting system available before the AGM or through electronic voting system which will be available during AGM.
   (b) The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on Tuesday, August 9, 2022 from 9:00 A.M. and ends on Thursday, August 11, 2022 at 5:00 P.M. The details will also be available on the website of the Company at www.munjalshowa.net.
   (c) The facility for e-voting at the AGM will be available for those members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting.
4. **Cut off Date for Dividend and Payment thereof:**
   (a) The Company has fixed Friday, July 29, 2022 as 'Cut off Date' for determining entitlement of members to dividend, recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended March 31, 2022.
   (b) Further also, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, July 30, 2022 to Friday, August 12, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.
   (c) The said dividend shall be paid or the dividend warrant shall be dispatched on or before Saturday, September 10, 2022.
   (d) As per the Relevant Circulars, payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who have updated their bank account details. Dividend warrants/demand drafts will be despatched to the registered address of the members who have not updated their bank account details.
   (e) Members may note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a company after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the members. The Company shall, therefore, deduct Tax at Source (TDS) at the time of making payment of the dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable, members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. For more details, please refer to the Notes to the Notice of AGM.
5. **Manner of registering mandate for receiving dividend:**
   (a) Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update bank account details with their respective DP.
   (b) Members holding shares in physical mode may send a request to the RTA of the Company, at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com or admin@mcsregistrars.com providing:
   (i) Scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, Folio No., bank details (Bank account number, bank and branch name and address, IFSC, MICR details (ii) self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque leaf.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and through e-voting during the AGM.

By the order of the Board of Directors
Sd/-
Neha Bansal
M. No: A38848
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Gurugram
Date : July 11, 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण, श्रमिकों से की बात, कहा-आप सभी इतिहास बना रहे

नए संसद भवन के शीर्ष पर सजा अशोक स्तंभ

गौरव

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश के नए बन रहे संसद भवन की छत पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिह्न का अनावरण किया। कांसे का बना यह प्रतीक 9500 किलोग्राम वजनी है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी बातचीत की और कहा कि उन्हें अपने काम पर गर्व होना चाहिए। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे।

अक्तूबर में पूरा होगा काम: नए संसद भवन का काम इस साल अक्तूबर तक पूरा किया जाना है, ताकि संसद का शीतकालीन सत्र इनमें बुलाया जा सके।

हर गरीब को लगे यह उसकी कुटिया है : प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उनकी संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमजीवियों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमें उनके प्रयासों पर गर्व है। जब एक श्रमिक ने प्रधानमंत्री के निर्माण स्थल पर आगमन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह भगवान राम के शबरी की कुटिया में आने जैसा है तो मोदी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, वाह, वाह। यह आपकी कुटिया है। देश के हर गरीब व्यक्ति को भी यही लगना चाहिए कि यह उनकी कुटिया है। उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही है।

मजदूरों से ली जानकारी : मोदी ने जब मजदूरों से पूछा कि उन्हें क्या लगता है, वे एक भवन बना रहे हैं या इतिहास? तो उन्होंने कहा, इतिहास। श्रमिकों ने कहा कि उन्हें नए संसद भवन में काम करते हुए गौरव की अनुभूति होती है। मोदी ने मजदूरों से सवाल किया कि क्या उन्होंने कोरोना के टीके लगवाए हैं। उनसे घर परिवार और राशन मिलने को लेकर भी जानकारी ली।

नई दिल्ली में सोमवार को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण के मौके पर पूजा करते पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला।

100 से अधिक कारीगरों ने नौ महीनों में मिलकर तैयार किया, यह प्रतीक पूरी तरह हस्तनिर्मित

33 मीटर ऊपर लगाया गया है यह राष्ट्रीय प्रतीक, 07 मिलीमीटर तक मोटी है इसके ढांचे की दीवार

08 चरणों में पूरा हुआ काम

राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम आठ चरणों में हुआ। इसमें मिट्टी से मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक तैयार करना व कांस्य निर्मित आकृति को पॉलिश करना शामिल है।

राष्ट्रीय प्रतीक क्यों खास

भारत का राष्ट्रीय चिह्न मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत करते समय स्वीकृत किया गया था।

" नया संसद भवन आत्मनिर्भर और नए भारत की पहचान बन जन-जन की आशा-आकांक्षाओं की पूर्ति का साक्षी बनेगा। इसके शीर्ष पर स्थापित यह राष्ट्रीय चिह्न हमेशा मुकुटमणि की तरह देदीप्यमान रहेगा। **अमित शाह,** केंद्रीय गृह मंत्री

सेंट्रल विस्टा की लागत बढ़ी पर समय से होगा तैयार

नए संसद भवन का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। विजय चौक से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम 80 फीसदी तक पूरा हो गया है। परियोजना के अक्तूबर तक पूरा होने की संभावना है। हालांकि, इसकी लागत बढ़ सकती है। 2020 में नए संसद भवन बनने की परियोजना टाटा को 971 करोड़ रुपये में मिली था। सूत्रों के अनुसार, इसमें लगभग 200 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है।

क्या है प्रोजेक्ट

केंद्र सरकार 1930 के दशक में अंग्रेजों द्वारा निर्मित लुटियंस दिल्ली के केंद्र में स्थित सेंट्रल विस्टा नामक 3.2 किलोमीटर हिस्से का पुनर्विकास कर रही। इस परियोजना में 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण एवं सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को समायोजित करने की योजना है।

250 साल तक रहेगा सेंट्रल विस्टा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार

18 जुलाई तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पूरा होने के आसार

सभी इमारतें नहीं तोड़ी जा रहीं

खास बात, सभी ऐतिहासिक इमारतें नहीं तोड़ी जाएंगी। कुछ इमारतों में बदलाव किया जाएगा और कुछ की रूप सज्जा की जाएगी। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन रि-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं।

खूबसूरत लाइटिंग

बिजली के खंभों को नया रूप दिया जा रहा ताकि खूबसूरत लाइटिंग की जा सके। यहां 900 से ज्यादा लाइट पोस्ट लगाई गई हैं। 422 नई लाल ग्रेनाइट पत्थर की बेंच लगाई गई हैं। राजपथ के आसपास दशकों से खड़े जामुन के पेड़ वहीं रहेंगे। हालांकि, इन 1180 पेड़ों में से 26 को हटाया जा रहा है।

नए संसद भवन में क्या-क्या खास

1. नए संसद भवन परिसर का आकार त्रिकोणीय होगा जो कुल 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। यह मौजूदा संसद भवन से काफी बड़ा होगा। इसमें 1,224 संसद सदस्यों का दफ्तर हो सकता है।
2. नए भवन में लोकसभा में 888 सांसद और राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। अभी लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है।
3. इमारत के अंदरूनी हिस्सों में तीन राष्ट्रीय प्रतीक मुख्य रूप से होंगे जिसमें कमल, मोर व वटवृक्ष शामिल है। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा जबकि राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल कमल होगा।
4. एक विशाल संविधान हॉल होगा, जिसमें देश की लोकतांत्रिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। नए संसद भवन में सांसदों के लिए विशाल लाइब्रेरी और लाउंज भी बनाया जा रहा है। सांसद एक साथ बैठकर भोजन कर सकें इसके लिए विशालकाय डाइनिंग हॉल भी होगा
5. विजय चौक से इंडिया गेट तक के तीन किलोमीटर लंबे राजपथ की नई साज-सज्जा की गई है। आम लोगों की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है।
6. राजपथ पर राजस्थान से लाए गए लाल ग्रेनाइट पत्थर लगाए जा रहे, यहां चौकोर और आयताकार पत्थरों को सलीके से सजाया जा रहा।

देश 30s

'आदित्य ठाकरे के खिलाफ दर्ज करें केस'

मुंबई। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली शीर्ष संस्था एनसीपीसीआर ने मुंबई पुलिस से 'आरे वन बचाओ' अभियान में कथित तौर पर बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की रजिस्ट्रार अनु चौधरी ने मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। शिवसेना ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कैसे साबित किया जा सकता है कि आदित्य बच्चों को विरोध प्रदर्शन के लिए लाए थे।

अमरनाथ तीर्थयात्रियों का 12वां जत्था रवाना

जम्मू। खराब मौसम की वजह से एक दिन निलंबित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा सोमवार को फिर शुरू हो गई। 4,026 तीर्थयात्रियों का 12वां जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जम्मू से रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया, सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच 110 वाहनों में यह जत्था यहां भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। इन श्रद्धालुओं में 3,192 पुरुष, 641 महिलाएं, 13 बच्चे, 174 साधु और छह साध्वी हैं। उन्होंने कहा, बालटाल आधार शिविर के लिए जाने वाले 1,016 तीर्थयात्री 35 वाहनों में तड़के साढ़े तीन बजे सबसे पहले रवाना हुए।

डेटा संग्रह के लिए उपकरण तैयार किया

नई दिल्ली। आईआईटी जोधपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने एक प्रतिरोधक मेमोरी डिवाइस तैयार किया है जो अत्यधिक डेटा संग्रह कर सकता है और ऊर्जा की कम खपत करता है। अधिकारियों के अनुसार इस उपकरण को 'मेमरिस्टर' नाम दिया गया है जिसे कैडमियम सेलेनाइड और क्वांटम डॉट्स से बनाया गया है। इस उपकरण की रैम (रैंडम एक्सेस मेमोरी) क्षमता अच्छी है और यह लंबे समय तक काम कर सकता है।

बाल यौन शोषण के खिलाफ इंटरपोल से मिलेगी मदद

नई दिल्ली। भारत इंटरपोल के अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण (आईसीएसई) डाटाबेस में शामिल हो गया है। इससे भारत को बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इंटरपोल अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को ऑडियो-विजुअल डाटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और अपराध स्थल के बीच संबंधों की जांच की अनुमति देगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सोशल मीडिया से

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर की मुकदमे की धमकी का मजाक उड़ाया है। मस्क ने ट्विटर पर लिखा है कि पहले उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर नहीं खरीद सकता। बाद में कहा कि वे 'बोट' (फर्जी अकाउंट) का खुलासा नहीं करेंगे। अब वे मुझे अदालत के जरिये ट्विटर खरीदने को मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन अब उन्हें अदालत में बोट का खुलासा करना ही होगा। मस्क के इस ट्वीट को ढाई लाख से ज्यादा लाइक और 34 हजार से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है। उधर, मस्क द्वारा अधिग्रहण सौदा रद्द करने के बाद सोमवार को ट्विटर के स्टॉक गिर गए।

सलेम की सजा पूरी होने पर सरकार छोड़ने के लिए बाध्य

आदेश

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार पुर्तगाल के समक्ष जताई गई अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने और मुंबई बम धमाकों के मामले में गिरफ्तार अबू सलेम की 25 साल की सजा पूरी होने पर उसे रिहा करने के लिए बाध्य है।

सलेम ने कहा था कि 2002 में उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए एक आश्वासन के अनुसार उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती है। उसने कहा था कि यह आश्वासन पुर्तगाल को तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा दिया गया था।

जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत सजा पूरी होने को लेकर राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। अदालत ने आदेश दिया कि इससे जुड़े आवश्यक कागजात 25 वर्ष पूरे होने के एक महीने के अंदर आगे बढ़ाए जाएं। वास्तव में, सरकार 25 साल पूरे होने पर एक महीने की समयावधि के भीतर सीआरपीसी के तहत छूट के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। एक विशेष टाडा अदालत ने 25 फरवरी 2015 को सलेम को, 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की उसके ड्राइवर मेहंदी हसन के साथ हत्या के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच मई को फैसला सुरक्षित रखा था

केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा था कि भारत संघ द्वारा 17 दिसंबर, 2002 के अपने आश्वासन का सम्मान किए जाने का सवाल तभी उठेगा जब 25 साल की अवधि समाप्त हो जाएगी जो कि 10 नवंबर, 2030 है। शीर्ष अदालत ने पांच मई को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने मामले में दलील दी थी कि अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन से न्यायपालिका स्वतंत्र है और यह कार्यपालिका पर निर्भर करता है कि वह उचित स्तर पर इस पर फैसला करे।

11 नवंबर, 2005 को सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था

93 में मुंबई में हुए बम धमाके के दोषियों में से एक है सलेम

कार्यपालिका उचित स्तर पर कार्रवाई करेगी

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने तब कहा था, 'सरकार तत्कालीन डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी द्वारा पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन से बंधी है और वह उचित समय पर इसका पालन करेगी।' राष्ट्र की ओर से दिया गया यह आश्वासन न्यायपालिका पर थोपा नहीं जा सकता। कार्यपालिका उचित स्तर पर इस बारे में कार्रवाई करेगी।'

प्रत्यर्पित किए जाने तक हिरासत में रहा सलेम

पीठ ने नटराज से कहा था कि सलेम का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ऋषि मल्होत्रा की दलील यह है कि अदालत को आश्वासन पर फैसला करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने तब कहा कि दूसरा मुद्दा एक समायोजित अवधि को लेकर है क्योंकि दलील यह है कि उसे यहां की अदालत के आदेश पर जारी 'रेड कॉर्नर नोटिस' के बाद पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था और वह भारत को प्रत्यर्पित किए जाने तक हिरासत में रहा।

कोर्ट के फैसले से माल्या को भारत लाने में मदद मिलेगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि विजय माल्या अब तक सिर्फ वांछित थे। मगर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें अवमानना के मामले में चार माह कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब वह सजायाफ्ता की श्रेणी में आ गए हैं। ऐसे में माल्या को ब्रिटेन से प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाने की कवायद में भारतीय एजेंसी को मदद मिलेगी।

रोहतगी ने कहा कि माल्या को सजा दिए जाने से प्रत्यर्पण की कार्रवाई में भारत सरकार का पक्ष मजबूत होगा। वहीं केंद्र सरकार के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माल्या को भारत लाने में मददगार साबित होगा। भारतीय जांच एजेंसी इस फैसले का हवाला देकर ब्रिटेन की अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रख सकती है।

अदालती आदेशों के उल्लंघन में दोषी करार दिया था: माल्या को अवमानना के लिए वर्ष 2017 में दोषी ठहराया गया था। इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर याचिका वर्ष 2020 में खारिज कर दी गई थी। दरअसल, न्यायालय ने माल्या को अदालती आदेशों का उल्लंघन कर अपने पारिवारिक सदस्यों के खातों में चार करोड़ डॉलर भेजने को लेकर अवमानना का दोषी ठहराया था।

चार करोड़ डॉलर आठ फीसदी ब्याज सहित लौटाने होंगे: शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विजय माल्या ने आदेशों का उल्लंघन कर चार करोड़ डॉलर अपने पारिवारिक सदस्यों के खाते में डाले थे। माल्या के परिवार को यह राशि आठ फीसदी ब्याज सहित लौटानी होगी। पीठ ने चार हफ्ते में यह राशि न लौटाने पर माल्या की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी दिया।

ब्रिटेन चला गया था

विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी में आरोपी है। वह मामला उजागर होने के बाद मार्च, 2016 में भारत छोड़ कर ब्रिटेन चला गया था। 18 अप्रैल 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रत्यर्पण वारंट पर उन्हें जमानत दे दी थी।

कई बैंकों ने दी थी याचिका

माल्या के खिलाफ एसबीआई समेत कई बैंकों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि माल्या ने नौ हजार करोड़ रुपए से अधिक के ऋण को वापस करने के अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है।

रिहाई सरल बनाने को कानून लाएं

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि आपराधिक मामलों में आरोपियों की रिहाई को सरल बनाने के लिए नया कानून लाने पर विचार करे।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने इससे जुड़े कई दिशा-निर्देश जारी किए। पीठ ने कहा कि जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए (आरोपी को पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस जारी करना) का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों से उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने को भी कहा, जो जमानत की शर्तों को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसे कैदियों की रिहाई में मदद के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। अदालत ने चार महीने में इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

न्यायालय ने सीबीआई द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में फैसला सुनाए जाने के दौरान ये दिशा-निर्देश जारी किए। फैसले का ब्योरा फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया गया है।

■ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किए दिशा-निर्देश

New Delhi YMCA
1, Jai Singh Road, New Delhi - 110001

TENDER NOTICE

The General Secretary & CEO, New Delhi YMCA invites sealed tenders from reputed Manufacturers/Authorized Distributors/Dealers/Suppliers/Service Providers for the following Items/Services:-

Group–I (1) Office Stationary (2) Computer Stationary (3) Printed Materials (4) Electrical Items (5) Hardware Items (6) Plumbing Items (7) Housekeeping Materials (8) Soap & Detergent (9) Guest Amenities Kit (10) Toilet Paper Rolls, Paper Napkins etc. (11) Timber & Plywood.

Group-II (1) Audio Visual, Lights Hiring (2) Tent House Materials Hiring (3) Pest Control Services

Group-III (1) Tinned Stuff (2) Rice (3) Pulses (4) Dairy Product (5) Vegetable (6) Non-Veg. Items - Mutton (7) Non-Veg. Items – Chicken & Eggs (8) Non-Veg. Items - Fish (9) Tea & Coffee (10) Package Mineral Water (11) Spices.

Tender documents along with detailed specification can be obtained on payment of Rs. 2000/- (Non Refundable) available with Cashier-Front Office, Tourist Hostel Building, Jai Singh Road, New Delhi – 110001 from 12th July 2022 onwards (24 hrs). **Last date of receiving of the tender document:** 19th July 2022 Duration of Tender: One Year **Time, Date place of opening Tender:** 21st July 2022 at 11:00 am at Henz Auditorium, Tourist Hostel Building, 1st Floor, Gate No. 1, Jai Singh Road, New Delhi – 110001

NB: The Management reserves the right to reject any or all Tender applications. The decision of the Management will be final and binding. Award of Tender is subject to Negotiation. For any query/information contact **Purchase Department Ph. No(s) 011-43644004**

General Secretary & CEO, New Delhi YMCA

क्रिप्टो घोटाले में 14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, एजेंसियां। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में 14 करोड़ रुपये मूल्य की और संपत्तियां कुर्क की हैं।

एजेंसी ने सोमवार को कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में 'फ्लाई विद मी मोबाइल एलएलपी' (निषाद व हसिफ के. के स्वामित्व वाली एक फर्म) के बैंक खातों में शेष राशि और अपराध की आय से खरीदी गई निषाद के सहयोगियों की अचल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें कोच्चि का एक अस्पताल अन्य संपत्तियां शामिल है।

दो फर्म पर छापे, 22 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बेंगलुरु और हैदराबाद स्थित दो रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 22 करोड़ रुपये की नकदी व आभूषण जब्त किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग की टीम ने इन दोनों रियल एस्टेट कंपनियों के 40 परिसरों पर छापे मारे थे। हालांकि, सीबीडीटी ने छापेमारी की तारीख का खुलासा नहीं किया है।

Branded
T.SHIRT SALE
MEN, WOMEN & KIDS
upto 60% off
Introducing huge range of Shorts & Lowers
By Economy Sales: 9212758425
OPEN 7 DAYS
ARROW ColorPlus SMART CASUALS PARK AVENUE Raymond
• PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
• WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
• JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
• NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
• LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

MUNJAL SHOWA

मुंजाल शोवा लिमिटेड

सीआईएन: L34101HR1985PLC020934
पंजीकृत कार्यालय एवं वर्क्स: 9–11, मारूति इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 18, गुरूग्राम-122015 (हरियाणा); **फोन:** +91-124-4783000; **ई-मेल:** cs@munjalshowa.net
वेबसाइट: www.munjalshowa.net

37वीं वार्षिक आम बैठक एवं कट ऑफ तिथि की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुंजाल शोवा लिमिटेड ('कम्पनी') की 37वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') **शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (भारतीय मानक समय)** पर कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उसके आधार पर बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा इस विषय पर जारी सभी लागू होने योग्य परिपत्रों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी') के माध्यम से एजीएम की आहूत सूचना में निर्धारित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित हो सकेंगे।

1. **वार्षिक रिपोर्ट की उपलब्धता एवं एजीएम की सूचना:**
प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनका ईमेल पता कम्पनी/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के साथ पंजीकृत है। ये कम्पनी की वेबसाइट www.munjalshowa.net, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

2. **ईमेल पता को पंजीकृत/अद्यतन करने की प्रक्रिया:**
अ) भौतिक तौर पर शेयरों को प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, जिन्होंने कम्पनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कि इसे, (i) नाम, फोलियो संख्या एवं पूरा पता उल्लिखित करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी एवं (iii) कम्पनी के साथ सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में इनमें से किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) कम्पनी के आरटीए, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को helpdeskdelhi@mcsregistrars.com अथवा admin@mcsregistrars.com पर भेजकर पंजीकृत/अद्यतन करायें।
आ) डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक रूप मे सभी संचार प्राप्त करने हेतु संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें।

3. **ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया:**
(अ) सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर अपना वोट डालने का अवसर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो एजीएम के पूर्व उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से या एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध होगा।
(आ) डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयरों की प्रतिरक्षा करने वाले तथा जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार 9 अगस्त, 2022 को प्रातः 9:00 बजे से आरम्भ होगी एवं बृहस्पतिवार 11 अगस्त, 2022 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। यह विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.munjalshowa.net पर भी उपलब्ध होगा।
(इ) एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भाग लेने वाले उन सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला हो।

4. **लाभांश और उसके भुगतान हेतु कट ऑफ तिथि:**
(अ) कम्पनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु **शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022** को **'कट ऑफ'** के रूप में निर्धारित किया है।
(आ) इसके अतिरिक्त, कम्पनी की वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **शनिवार, 30 जुलाई, 2022 से शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022 (दोनों दिन शामिल)** तक बंद रहेंगे।
(इ) उक्त लाभांश का भुगतान अथवा लाभांश वारंट का प्रेषण शनिवार, 10 सितम्बर, 2022 को या उससे पूर्व किया जाएगा।
(ई) प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन किया है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट भेजे जाएंगे।
(उ) सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित, के अधिदेशानुदार 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश सदस्यों के हाथ में कर योग्य होगा। अतः, कम्पनी लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) व्यवकलित करेगी। उपयुक्त टीडीएस दर, जैसा लागू हो, निर्धारित करने में हमें सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज जमा करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया एजीएम की सूचना के नोट्स देखें।

5. **लाभांश प्राप्त करने अधिदेश दर्ज करने की प्रक्रिया:**
(अ) डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत/अद्यतन करें।
(आ) भौतिक तौर पर शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य कम्पनी के आरटीए को helpdeskdelhi@mcsregistrars.com अथवा admin@mcsregistrars.com पर: (i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम व पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति तथा (iii) रद्द चेक की प्रति के साथ अनुरोध भेज सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया ध्यान से पढ़ें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ता./–
नेहा बंसल
सदस्यता सं : A38848
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुरूग्राम
तिथि : 11 जुलाई, 2022